छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन शिक्षण समिति द्वारा संचालित
(उच्च शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त एवंप. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सेस्थायी संबद्ध)
विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय
जी.ईरोड, रायपुर (छ.ग.)
E-Mail vipracollege1996@gmail.com
Visit on- www.vipracollege.org
पंजीयनक.–17951 Phone No. 9406082000

3.3 Research Publications and Awards

3.3.1: ***Number of research papers published per teacher in the Journals on UGC care list during the last five years***

3.3.1.1: Number of research papers in the Journals notified on UGC CARE year wise during the last five years

Principal
Dr.MegheshTiwari
Vipra Kala, VanijyaAvam
SharirikShikshaMahavidyalaya
Raipur, Chhattisgarh

प्राचार्य
विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा
महाविद्यालय, जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.)

Implementation Of Soft Fixed Point Theorems With B-Metric Space

Kanchan Mishra, Chitra Singh, Anurag Choubey

Abstract: In this paper we instigate the different types of soft sets and different methods to solve and show some fixed point theorems on a soft metric space by using new type rational contraction conditions. Our results increase and raise the recent ones.

Keyword: b-metric space, Fixed point, Contraction mappings, Cauchy sequence, Complete Metric space, Soft set. AMS Classification: 45H10.

---

1. Introduction and Preliminaries:

The concept of soft sets was first given by Molodtsov [1] soft sets was new mathematical idea to solve problems. Molodtsov[1] defines soft set as a parameterized family of subsets of whole set where each element is regarded as a set of closer elements of the soft set. In the past few years, many researchers have done their researches on the fundamentals of soft set theory. Maji et al. [2] presented a OR . They researched on it and described the basic properties of there operations Pei and Miao [3] discussed the relationship between soft sets and information systems and also redefined subset and intersection of soft sets. Ali et al. [4] gave new operations like the restricted union, the restricted intersection, the restricted difference and the extended intersection of two soft sets and said emphasis mainly on their basic properties. Cagman and Enginoglu [5] introduced soft matrix theory and were successfully applying it to a decision making problem. Babitha and Sunil [6] introduced the idea of soft set relation and function and discussed some related concepts like equivalence soft set relation, partition of soft sets, ordering on soft sets. They specially worked on soft set relation and ordering. Babitha and Sunil [7] By introducing the concept of relation and got proofs with some results. Sezgin and Atagun [8], Fuli [9] and others modified the work of Maji et al. [2] and gave some new results Sezgin also put forth some new results. Sezgin and Atagun [8] gave restricted symmetric difference of soft sets and studied its properties with examples. Singh and Onyeozili [2012] got some results on distributive and absorption properties with respect to different operations on soft sets and [19, 20,21,22] added some more results of soft fixed point in b-metric space.

- *Department of Mathematics, Vipra College, Raipur (C.G.)*
- *Department of Mathematics, RNT University Bhopal (M.P.)*
- *Department of CSE, Technocrats Institute of Technology Bhopal (M.P.)*

Definition 2.1: Let (Y, d) is a metric space and the set (F, B) is a soft set of Y is called

null soft set and it is denoted by φ .if for all $\varepsilon \in B$, $F(\varepsilon) = \phi$. (empty set)

Definition 2.2: Let (Y, d) is a metric space and suppose that the set (F, B) is a soft set

over (Y, d) is called absolute soft set. If for all $\varepsilon \in B$, $F(\varepsilon) = Y$.

Definition 2.3: Let (Y, d) is a metric space and if the difference (F, A) of two soft sets

(F, A) and (F, A) over Y is denoted by (F, A)/ (F, A) and is defined as

$$F(e) = H(e)\backslash G(e) \text{ for all } e \in A.$$

Definition 2.4: For any two soft real numbers

(i) $\tilde{a} \le \tilde{b}$, if $\tilde{a}(e) \le \tilde{b}(e)$, for all $e \in A$.

(ii) $\tilde{a} \ge \tilde{b}$, if $\tilde{a}(e) \ge \tilde{b}(e)$, for all $e \in A$.

(iii) $\tilde{a} < \tilde{b}$, if $\tilde{a}(e) < \tilde{b}(e)$, for all $e \in A$.

(iv) $\tilde{a} > \tilde{b}$, if $\tilde{a}(e) > \tilde{b}(e)$, for all $e \in A$.

Definition 2.5: The complement of a soft set (F, A) is denoted by $(F,A)^c$ and is defined by

$(F,A)^c = (F^c, A)$ where $F^c : A \rightarrow P(X)$ is mapping given by $(\beta) = X - F(\beta)$,$\forall \beta \in A$.

Definition 2.6: Let R be the set of real numbers and B(R) be the collection of all nonempty

Bounded subsets of R and B taken as a set of parameters. Then a mapping

F: H→A(R) is said to be a soft real set. It is denoted by (F, H).If specifically (F, H)

is a singleton soft set, then identifying (F,H) with the corresponding soft element,

it will be said to a soft real number and denoted $\tilde{a}, \tilde{b}$ etc.

Let $\bar{0}, \bar{1}$ are any two soft real numbers where $\bar{0}(e) = 0$, $\bar{1}(e) = 1$for all $e \in H$, respectively

Mathematical Theory and Modeling
ISSN 2224-5804 (Paper) ISSN 2225-0522 (Online)
Vol.8, No.8, 2018

Study of Soft Set and Common Soft Point With Complete Metric Space

Kanchan Mishra[1*], Chitra Singh[2*]
1 *Department of Mathematics,Disha college,Raipur(C.G)India
2 *Department of Mathematics,RNT University,Bhopal(MP)India

Abstract: In this paper firstly we study systematic and critical study of the fundamentals of soft set theory, which include operations on soft sets and their properties. We define equality of two soft sets, subset and super set of a soft set, complement of a soft set, null soft set, and absolute soft set .The purpose of this paper is to prove the existence of fixed point on a soft metric space.
*1 Corresponding Author Email: Skanchanmishra09@yahoo.com

Keyword: Soft Set , Soft Complement function ,Null soft set, Absolute soft set, Soft Subset, Soft super set ,Fixed point, Complete Metric Space.

AMS Classification: 45H10.

2. Introduction and Preliminaries:

The notion of soft sets introduced by Molodtsov [1] in (1999) as a general mathematical tool for dealing with uncertain objects. Molodtsov et al. bring out applications of soft set and soft theory in various areas, such as smoothness of functions, game theory, operations research, Riemann integration, Perron integration and probability [2]. Maji et al. [3] defined and studied several basic notions of soft set theory. C.A. Gman and Enginoglu [4] studied products of soft sets and uni-int decision functions. Certain De Morgan's laws in soft set theory with respect to different operations and extend the theoretical aspect of operations on soft sets studied by Sezgin and A. Atagun [5]. Shabir and Naz [6] initiated the study of soft topological spaces and showed that a soft topological space gives a parameterized family of topological spaces. They introduced the notions of soft open sets, soft closed sets, soft interior, soft closure and soft separation axioms. In Shabir and Naz paper there were some incorrect results that Min [7] point out them and investigated the soft regular spaces and some properties of them. After them many useful literatures in soft set and soft topological space have been written by many authors such as products of soft sets and uni-int decision functions, soft first-countable spaces, soft second-countable spaces and soft separable spaces [8], properties of equivalence soft set relations [9] and soft mapping introduced in [10].
In this section we consider the basic definitions and properties of soft sets and soft topologies. we give some basic definitions and results on soft sets.

Definition 2.1: [1]. A pair (F,A) is called a soft set over U, where F is a function given by F : A $\rightarrow$ P(U). In other words, a soft set over U is a parameterized family of subsets of the

An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Link - 158, Vol - XVI (3), May - 2017, Page No. 111-113
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■
Commerce

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) : एक समीक्षा एवं इनपुट सेवा वितरण की अवधारणा

प्रस्तुत शोधपत्र, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की समीक्षा एवं इनपुट सेवा वितरण की अवधारणा पर आधारित है। भारत में अप्रत्यक्ष कर के सुधार के क्षेत्र में जीएसटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिसमें जीएसटी तीन प्रकार से लगाया जाएगा, सेन्ट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और स्टेट जीएसटी। सरकार इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 1 जुलाई 2017 से लागू करने वाली है, जिसमें चार स्लेब पर जीएसटी लगाया जाने वाला है। ये चार स्लेब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत है। जीएसटी के द्वारा बहुत सारे केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर व राज्य अप्रत्यक्ष कर को हटाकर एक कर जो दोहरा कर सीजीएसटी तथा एसजीएसटी लागू कर देश के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक समान दर लागू कर शीघ्र आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करेगा। यह केन्द्र तथा राज्यों के लिए राजस्व में वृद्धि करने वाला होगा।

डॉ.विजय अग्रवाल* एवं श्रीमती सीमा अग्रवाल**

परिचय :

भारत मे अप्रत्यक्ष कर के सुधार के क्षेत्र में जीएसटी का परिचय एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। केन्द्रीय कर तथा राज्य करों की एक बड़ी संख्या का आपस में मिलकर एक ही कर तथा जो पिछली स्तरों के करों को छोड़ देता है, यह Cascading के बुरे प्रभाव को कम करेगा तथा सामान्य राष्ट्रीय बाजार के मार्ग में एक रास्ता बनाएगा। उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं पर संपूर्ण कर के बोझ में कटौती के संबंध में एक बहुत बड़ा लाभ होगा। जो वर्तमान 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अनुमानित है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीएसटी की शुरूआत हमारे उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक भी बनाएगी। अध्ययन दर्शाते हैं कि यह शीघ्र ही आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करेगा। यह केन्द्र तथा राज्यों के लिए कर आधार का विस्तार होने के कारण राजस्व में वृद्धि भी कर सकता है, व्यापारिक खंड मे वृद्धि तथा कर अनुपालन में सुधार। अंत में लेकिन कम नहीं, इस कर के पारदर्शी स्वभाव के कारण इसे प्रशासन में लाना सुविधाजनक होगा।

उत्पत्ति :

जीएसटी की ओर सोचने का विचार 2006–07 के बजट में पहली बार प्रस्तुत हुआ। प्रारंभिक रूप से, यह प्रस्तावित था कि जीएसटी 1 अप्रैल, 2010 से पहली बार उपयोग में लाया जाएगा। राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त कमेटी ने राज्य VAT का प्रारूप सूचित किया तथा अनुरोध किया कि जीएसटी के लिए संरचना तथा दिशा निर्देश बीच में आएं। अधिकारियों के सम्मिलित कार्यकारी समूह ने राज्यों के साथ–साथ केन्द्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जीएसटी के विभिन्न पहलुओं के परीक्षण को स्थापित किया तथा विशिष्ट रूप से कर छूट तथा सीमा, सेवाओं के लिए कराधान तथा अंतर्राज्यीय आपूर्तियों के लिए कराधान कर रिपोर्ट पेश की। विचार–विमर्श पर आधारित केन्द्र सरकार के साथ में तथा बीच में, सशक्त कमेटी ने नवम्बर, 2009 में जीएसटी पर प्रथम परिचर्चा पत्र स्थापित किया। प्रस्तावित जीएसटी को विशेषताओं की व्याख्या करते हुए केन्द्र तथा राज्यों के बीच अब तक की परिचर्चा के लिए आधार गठित किया।

जीएसटी की प्रमुख विशेषता :

(1) जीएसटी वस्तु तथा सेवा आपूर्ति पर लागू होगा, वस्तु के विक्रय तथा उत्पादन या सेवाओं के आयोजन पर वर्तमान कर की अवधारणा के विरूद्ध यह एक गंतव्य आधारित उपभोग कर होगा।

(2) यह केन्द्र तथा राज्यों में एक साथ एक सामान्य कर आधार पर आरोपित एक दोहरा कर होगा। जीएसटी केन्द्र द्वारा अंतर्राज्यीय वस्तु तथा सेवाओं पर आरोपित किया जाने वाला केन्द्रीय जीएसटी तथा राज्य द्वारा आरोपित राज्य जीएसटी कहलाएगा।

(3) जीएसटी शराब तथा पाँच पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, (पेट्रोल) mgth speed diesel, प्राकृतिक गैस तथा विमान इंधन छोड़कर सभी मानवीय उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाएगा। यह कुछ विशिष्ट को छोड़कर सभी पर लगाया जाएगा।

(4) तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद जीएसटी के अधीन होंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्र को इन उत्पादों पर केन्द्रीय आयात शुल्क आरोपित करने का अधिकार होगा।

(5) जीएसटी केन्द्र द्वारा एकत्रित तथा उगाही किए जाने वाले निम्नांकित करों के बदले में प्रयोग होगा :

*विभागाध्यक्ष (वाणिज्य संकाय), जे.वाय.छत्तीसगढ़ कॉलेज
**शोधार्थी (वाणिज्य संकाय), जे.वाय.छत्तीसगढ़ कॉलेज,

ISSN 2347-5145 (Print)
2454-2687 (Online)

Vol. 07| Issue-01|
January- March 2019

Available online at
www.anvpublication.org

International Journal of
Reviews and Research in Social Sciences

RESEARCH ARTICLE

वस्तु एवं सेवाकर (GST) की दरो में परिवर्तन (2019)

श्रीमती सीमा अग्रवाल[1], डॉ. विजय अग्रवाल[2]

[1]शोधार्थी, सहायक प्राध्यापिका, विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
[2]निर्देशक, विभागाध्यक्ष, शासकीय जे. योगानंदम छ.ग. महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
*Corresponding Author E-mail:

ABSTRACT:
साथ ही छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए बहुत सी छूट प्रदान की गई कंपोजिशन स्कीम की सीमा में व जी.एस.टी में छूट की सीमा बढ़ाकर रिटर्न भरने की अवधि में छूट प्रदान करके जिससे छोटे कारोबारी व आम जनता को लाभ होने जा रहा है।

KEYWORDS: वस्तु एवं सेवाकर , परिवर्तन

प्रस्तावना :—

आम आदमी को नए साल का तोहफा देते हुए सरकार एक जनवरी से जनता को बहुत सी छूट वस्तु एवं सेवाकर की दरो में परिवर्तन कर प्रदान की है। साथ ही छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए बहुत सी छूट प्रदान की गई कंपोजिशन स्कीम की सीमा में व जी.एस.टी में छूट की सीमा बढ़ाकर रिटर्न भरने की अवधि में छूट प्रदान करके जिससे छोटे कारोबारी व आम जनता को लाभ होने जा रहा है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में गुड्स और सर्विस टैक्स ;ळैज्द्धकाउंसिल की 32वीं बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। जिसमें छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रू कर दी है। बैठक में जीएसटी में छूट सीमा 20 लाख रू से बढ़ाकर 40 लाख रू वार्षिक कर दी गई है। साथ ही मुफ्त दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलेगी। महिला कारोबारियों के लिए ज्यादा रियात। सस्ते ब्याज दर पर कर्ज ले सकेगे। ब्याज दर में दो फीसदी तक की छूट, टर्नओवर के हिसाब से बीमा की रकम तय की जायेगी।

पीयूष गोयल जी ने छोटे कारोबारियों को राहत दी है। जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 50 लाख तक है उन्हें केवल 6 फीसदी ळैज देना होगा आर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो सिर्फ तीन महिने मे एक बार रिर्टन भरना पडेगा।

सरकार ने एक जनवरी से सिनेमा टिकट, 32 इंट तक के टेलीविजन और मानिटर स्कीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें पावर बैंक, शीतित एवं डब्बा बंद खास तरह की प्रसंस्कृत

Received on 19.12.2018 Modified on 11.01.2019
Accepted on 25.02.2019 © A&V Publications All right reserved
Int. J. Rev. and Res. Social Sci. 2019; 7(1):204-206.

Contribution of Industrial Sector's In Corporate Social Responsibility (CSR) In India

Dr. Aradhana Shukla[1]* Mrs. Nidhi Shri Shukla[2]

[1,2] Assistant Professor, Vipra Mahavidyalaya, Raipur (CG)

Abstract *– As a developing country, India is at growing stage of its industries, agriculture, telecommunication and infrastructure. After adoption of LPG (Liberalization, privatization, globalization) during 1991, Indian economy opened to worldwide enterprises which to have pro's and con's as a threat to domestic industries but also brought immense of opportunity for growth of industries and other sector's. This lead the Indian economy to bring up new idea of corporate social responsibility so as to p0revent concentration of economy as well as to balanced development of overall nation. By this research paper we are going to analyze the contribution pattern of industry and application section of CSR in India*

Keywords*- Corporate Social Responsibility, Industrial Contribution.*

---------------------------------x---------------------------------

INTRODUCTION

Corporate social responsibility is also stands for corporate sustainability, sustainable business, corporate conscience, corporate citizenship or responsible business.

But actually referred as type of international private business self-regulation whose main object is to contribute to societal goals of philanthropic (Dispensing or receiving aid from fund set aside for humanitarian purpose), Activist or charitable nature by engaging in or supporting volunteering or ethically oriented practices.

India is the first country across the world which made CSR as mandatory thereby amending the companies Act 2013, in April 2014.

According to the Companies (corporate social responsibility policy) Rule ,2014 under section 135, section 469(1) ,section 469(2) and other related section of rule:-

a) Companies having Net worth of Rs. 500 cr. or more.

b) Companies having turnover of Rs. 1000 cr or more.

c) Companies having net profit of Rs. 5 cr. or more.

Than companies crossing prescribed threshold are required to spend at least 2% of their average net profit for immediately preceding 3 financial year on CSR activities.

As per above rule all sectors of industries are contributing towards CSR for different Aid / Facilities/ section of societal economy which are dealt further.

OBJECTIVES

- To analyze expressly meaning and actualization of rule in india.
- To analyze CSR spending pattern of different corporate sectors.
- To find out maximum spending and least spending sector of indian industry.
- To analyze CSR application section of societal requirement.
- To find out most and least application area of CSR funds.

REVIEW OF LITERATURE

P. Harshavadhini and M. Kannappan (2017-18)- "Introspection of CSR in India".

In this they explained in endoscopic evaluation of CSR evolution at stage wise and its applicability as well.

Charted- Suneera tondon- "Indian Industries Spend Most And Least On Social Welfare".

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) Jan. To March 2018 E-Journal, VOl. IV, Issue XXI

भारत की गरीबी निवारण योजनाओं का मूल्यांकन

डॉ. आराधना शुक्ला* निधी श्री **

शोध सारांश – भारत देश में गरीबी आर्थिक विकास में सबसे बडी बाधा बनती जा रही है अतः विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन के पूर्व सरकार के द्वारा गरीबी निवारण अनेक योजनायें संचालित की जा रही है। ताकि जनता के पास क्रय शक्ति सृजित हो और उनके द्वारा देश के आर्थिक विकास के आवश्यक पहलू बचत व निवेश पर योगदान दिया जा सके।

शब्द कुंजी – गरीबी, आर्थिक विकास एवं गरीबी निवारण योजनायें।

प्रस्तावना – कोई भी देश आर्थिक गति तभी पास कर सकता है जब उस देश की जनता के पास पर्याप्त आय प्राप्ति के साधन हो कि वह अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। किन्तु भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व गरीबी अथवा निर्धनता है अत: देश की सरकार का सर्व प्रथम दायित्व जनता की गरीबी हटाना होता है। गरीबी निवारण हेत सरकार अनेक योजनायें संचालित कर रही है जो मुख्य रुप से जनका को न केवल आय क साधन प्रदान कर रही है बल्कि उन्हे स्वरोजगार के अवसर भी दे रही है। जैसे :- मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, इंदिरा आवास योजना, जनश्री बीमा योजना, अंत्योदय अन्य योजना आदि।

गरीबी निवारण संचालित योजनाओं से गरीब जनता को आय एवं रोजगार प्राप्ति के अनेक स्त्रोत प्राप्त होते हैं तथा तथा कौशल विकास योजनाओं से जनता को आय व रोजगार की प्राप्ति होगी परिणाम स्वरुप बचत व निवेश भी प्रोत्साहित होंगे और देश का आर्थिक विकास संभव हो जायेगा।

अध्ययन का उद्देश्य – शोध पत्र अध्ययन के उद्देशय अग्रांकित है–

1. देश में गरीबी का अध्ययन करना।
2. संचालित विभिन्न गरीबी निवारण कार्यक्रमों की उपलब्धि का अध्ययन करना।
3. विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के गरीबी पर प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. विभिन्न गरीबी निवारण योजनाओं से गरीबी का स्तर कम हो रहा है।
2. गरीबी निवारण योजनायें देश की गरीबी हटाने में प्रभावकारी है।

शोध प्रविधि – भारत देश की सरकार के द्वारा संचालित गरीबी निवारण योजनायें वास्तव में गरीबी निवारण में प्रभावकारी है अपव्यय नहीं इस तथ्य के विश्लेषण हेतु भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा संचालित द्वितीयक आंकडो का अध्ययन किया गया है।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन :

1. बालकृष्ण बी. 1943 इन्होने अनेक शासकीय योजनायें विशेषकर विपणन संबंधी योजनाओं पर अध्ययन कर यह निष्कर्ष प्रकट किया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की संरचना के आधार पर विपणन संबंधी योजनायें संचालित करती है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय पोर्टल से प्रकाशन कॉलम के वार्षिक रिपोर्ट एवं पहल व उपलब्धियों के द्वारा हमे वर्तमान में चल रही सरकार की ग्रामीण विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई एवं इन गतिविधियों के ग्रामीण निर्धनो के उपर प्रभाव तथा उनके फायदे के बारे में जाना। यह जानकारी हमें हमारे रिर्सच पेपर हेतु बहुत ही सहयोगी रही है।

शोध अध्ययन – भारत में देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय कम होना ही यहां कि निर्धनता का प्रमुख कारण है। साथ साथ ही यह कहा जा सकता है कि देश में गरीबी के प्रमुख कारण मुख्यतः रोजगार अवसरो में धीमी वृद्धि, निम्न आय अर्जन, जनसंख्या में भारी वृद्धि, दोषपूर्ण आर्थिक निति आदि रहा है।

तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं से ही देश में गरीबी निवारण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है उनका प्रभाव गरीबी निवारण पर प्रभाव दिखाई देने लगा है तथा गरीबी के आंकडों में दिन प्रतिदिन आंशिक सुधार हो रहा है जो अग्रांकित आंकडो से स्पष्ट हो रहा है:-

भारत में निर्धनता अनुपात एवं निर्धनो की संख्या

वर्ष	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)	निर्धनों की संख्या (करोड में)
2004-05	37.2	40.71
2009-10	29.8	35.47
2011-12	21.9	26.93
2014-15	24.5	36.93

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत देश में निर्धनता की अनुपात 2004-05 में 37.2 प्रतिशत तथा वह घटकर 2011-12 में 26.93 करोड रह गया किंतु 2014-15 में निर्धन अनुपात एवं निर्धनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण दोषपूर्ण आर्थिक निती, मुद्रा प्रसार एवं मूल्य वृद्धि रही है।

सुझाव एवं निष्कर्ष – शोधकर्ता ने गरीबी निवारण संबंधी योजनाओं के सफल संचालन एवं परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्न सुझाव दिया है :-

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) आर. आई. टी. महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रगति महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

भारत के सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति

डॉ.स्वाति शर्मा * डॉ. अराधना शुक्ला **

शोध सारांश – किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास और संचालन में उस देश की सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक देश अपने आर्थिक कार्यों और उत्तरदायित्वों को सार्वजनिक व्यय के माध्यम से संपन्न करता है। सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य उस व्यय से है जो किसी देश के द्वारा उसके निवासियों के सर्वागिंण विकास के लिए किया जाता है। प्रत्येक देश आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने सार्वजनिक व्यय को एक विकास उपकरण की तरह प्रयुक्त करता है। सार्वजनिक व्यय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन लाकर विकास की दर को वांछित दिशा की ओर अग्रसर करता है। सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक व्यय आर्थिक विकास पर प्रत्येक्ष प्रभाव डालता है जिससे देश में उत्पादन, आय और रोजगार में वृद्धि होने लगती है और देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होता है, साथ ही लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी साकार करता है।

शब्द कुंजी – सार्वजनिक व्यय, आर्थिक विकास, लोककल्याण।

प्रस्तावना – प्राचीन काल से ही सरकार के उत्तरदायित्वों को सिमित रखा गया था क्योंकि ऐसी धारणा थी कि राजकीय क्रियाकलापों का विस्तार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सिमित करता है और प्रत्येक सार्वजनिक व्यय अपव्ययपूर्ण और अनुत्पादक है परन्तु 1930 की महामंदी के बाद किन्स ने सार्वजनिक व्यय और सरकार की भूमिका के महत्व को स्वीकारा और बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाने वाला प्रत्येक व्यय देश के विकास के लिए आर्थिक सरंचनाएँ उपलब्ध कराता है। विकास की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध अवरोधों जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय असमानता, गरीबी आदि को सरकार ही नियंत्रित व नियमित कर सकती है। इस प्रकार आर्थिक विकास और जनकल्याण, सरकार की योजनाओं, नियमों और उनके क्रियान्वयन पर निर्भर है जिसे केवल सार्वजनिक व्यय के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

भारत एक विकासशील देश है और विश्व के अन्य विकसित और विकासशील देशों के समान भारत के विकास में सार्वजनिक व्यय की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत ने अपने नियोजन काल से ही सार्वजनिक व्यय के महत्व को स्वीकारा और उसका प्रयोग सामजिक और आर्थिक विकास, आधार भूत संरचनाओं और मानव कल्याण के लिए किया है। जैसे-जैसे देश का आर्थिक विकास होता है वैसे-वैसे सार्वजनिक व्यय भी और महत्वपूर्ण होता जाता है। भारत ने सार्वजनिक व्यय की नीति का प्रयोग आय के न्यायपूर्ण वितरण, राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि करने, आर्थिक स्थायित्व, पूर्ण रोजगार, सार्वजनिक उपक्रमों के विकास व संचालन तथा सामाजिक कल्याण जैसे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया है। भारत में सार्वजनिक व्यय को आर्थिक आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में से व्यय होते है जो शासकीय विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं और सेवाओं पर किए जाते है। इससे ना तो सरकार के उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और ना भविष्य में कोई अन्य अतिरिक्त आय का सृजन होता है। इसलिए इसे अनुत्पाद या उपयोगात्मक व्यय भी कहा जाता है। पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय होते है जो सरकार की संपत्ति में वृद्धि करते है अर्थात् सरकार की देयताओं को कम सकते है। यह सरकार की आय पर भार नहीं होते इन व्ययों को आंतरिक व बाह्य ऋण तथा अन्य कोषों की मदद से पूरा किया जाता है। भारत के सार्वजनिक व्यय की स्थिति निम्न है –

तालिका क्र.-1 : सार्वजनिक व्यय GDP के % के रूप में

वर्ष	सार्वजनिक व्यय (करोड़ रू.)	GDP के प्रतिशत के रूप में
2011-12	13,04,365	14.9
2012-13	14,10,372	14.2
2013-14	15,59,447	13.9
2014-15	16,63,673	13.3
2015-16	17,90,783	13.0
2016-17	19,75,194	12.9
2017-18	21,41,975	12.5
2018-19	23,15,113	12.2

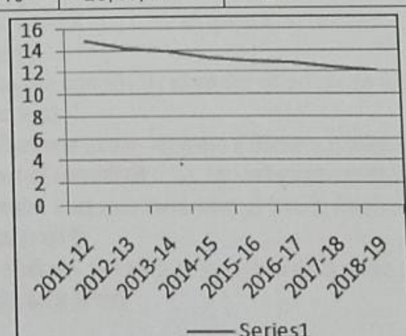

सारणी से स्पष्ट है कि भारत के सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि होती है 2011-12 में 13,04,372 करोड़ रूपया था जो 2018-19 में बढ़कर

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) डॉ.राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) विप्र कला वाणिज्य और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April 2018 E-Journal, Vol. III

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं भारत

डॉ. आराधना शुक्ला* निधी श्री **

शोध सारांश – अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों के वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है, जो अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को सहज बनाने मे सहायक है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य व अल्प विकसित एवं विकासशील देशों के आर्थिक स्थिरता, गरीबी को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।
शब्द कुंजी – अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

प्रस्तावना – अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा –कोष की स्थापना प्रथम व द्वितीय महायुद्ध के मध्य की अवधि मे विद्यमान वित्तीय विषम परिस्थितियों का परिणाम था। जुलाई, 1944 में ब्रेटनवुड्स नामक स्थान पर 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा – कोष की स्थापना की गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य – कोष के उद्देश्य, को चार्टर के अनुसार निम्न प्रकार बताये गये है :

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना – इस कोष का प्रथम उद्देश्य सदस्य देशों में मुद्रा नीति सम्बन्धी सहयोग स्थापित करना और मुद्रा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को बातचीत एवं सहयोग से हल करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा – कोष का दुसरा उद्देश्य ऐसी सुविधाएँ जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढावा मिले, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, विनिमय दर में स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों की विशमता को दूर करना, विनिमय नियंत्रण को हटाना, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान असन्तुलन को कम करना, उत्पादक पूँजी विनियोग, असन्तुलित आर्थिक विकास में सहायक। भारत का मुद्रा–कोष से घनिष्ठ सम्बन्ध है, तथा मुद्रा – कोष नीति–निर्माण एवं कार्य–संचालन मे भारत निरन्तर योगदान रहा है।

तालिका 1 – (निचे देखे)

31 मार्च, 2002 के बाद भारत में ने मुद्रा – कोष से कोई ऋण नहीं लिया है। 23 अक्टुबर, 2010 जी–20 के वित मंत्री के बैठक में कई सहमती बनी, बैठक के बाद भारत के वित मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि आईएमएफ में भारत की रैंक तीन अंक ऊपर हो जाएगी, भारत आठवें स्थान पर आ जाएगा, मुखर्जी ने कहा, 'हमने महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है, आईएमएफ में अब भारत का कोटा 2.75 फीसदी बढ़ गया है, इससे पहले भारतीय हिस्सेदारी 2.44 फीसदी थी।

आईएमएफ में एशिया प्रशांत विभाग के उप निर्देशक केनेथ कांग ने कहा कि एशिया का परिदृष्य अच्छा है और यह मुश्किल सुधारों के समिप भारत को आगे ले जाने का महत्वपूर्ण अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत के लिए त्रिवक्षीय ढांचागत सुधार दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया, 7–09 अक्टूबर, 2016 में हुए बैठक मे यह निष्कर्ष सामने आता है कि भारत की चरम गरीबी एवं भ्रष्टाचार को 2030 तक विश्व बैंक के मिशन तहत समाप्त करना है, युवाओं का उद्यमिता हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, आर्थिक असामनताओं को दूर करने हेतु अनेक सरकारी प्रयास किये जाने चाहिए, वैश्वीकरण एवं प्रौद्योगिकीकरण हेतु भारत में कार्य किये जाना आवश्यक हो गया है, तथा महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाओ को संचालित करते हुए अनेक योजनाओ को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान अध्यक्ष जिम योंग कॉग का कहना है कि भारत में आर्थिक विकास एवं विनियोग के प्रत्याय दर तीव्र गति से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि यह एक बहुल संसाधन देश हैं, 27 जनवरी, 2016 के कोटा समीक्षा में भारत का कोटा बढ़कर 2.78 प्रतिशत हो गया है, तथा मताधिकार बढ़कर 2.66 प्रतिशत हो गई है, इस प्रकार यह संकेत प्राप्त हो रहा है कि, भारत चहुमुखी आर्थिक विकास कर रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ओझा शिवकुमार, भारतीय अर्थव्यवस्था बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. सिन्हा वी.सी., व्यावासायिक पर्यावरण, एस.बी.पी.डी.,पब्लिकेशन हाउस।
3. प्रतियोगिता दर्पण।

तालिका 1

वर्ष	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
कुल ऋण	2623	3451	4799	5040	4300	2374	1313	664	287	26

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) आर. आई. टी. महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रगति महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) (U.G.C. Jr. No. 64728)
ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.110 (2017) April 2018 E-Journal, Vol. III

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं भारत

डॉ. आराधना शुक्ला* निधी श्री **

शोध सारांश – अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों के वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है, जो अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को सहज बनाने मे सहायक है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य व अल्प विकसित एवं विकासशील देशों के आर्थिक स्थिरता, गरीबी को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।
शब्द कुंजी – अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

प्रस्तावना – अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा –कोष की स्थापना प्रथम व द्वितीय महायुद्ध के मध्य की अवधि मे विद्यमान वित्तीय विषम परिस्थितियों का परिणाम था। जुलाई, 1944 में ब्रेटनवुड्स नामक स्थान पर 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा – कोष की स्थापना की गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य – कोष के उद्देश्य , को चार्टर के अनुसार निम्न प्रकार बताये गये है :

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना – इस कोष का प्रथम उद्देश्य सदस्य देशों में मुद्रा नीति सम्बन्धी सहयोग स्थापित करना और मुद्रा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को बातचीत एवं सहयोग से हल करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा – कोष का दुसरा उद्देश्य ऐसी सुविधाएँ जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढावा मिले, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, विनिमय दर में स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों की विशमता को दूर करना, विनिमय नियंत्रण को हटाना, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान असन्तुलन को कम करना, उत्पादक पूँजी विनियोग, असन्तुलित आर्थिक विकास में सहायक। भारत का मुद्रा–कोष से घनिष्ठ सम्बन्ध है , तथा मुद्रा – कोष नीति–निर्माण एवं कार्य–संचालन मे भारत निरन्तर योगदान रहा है।

तालिका 1 – (निचे देखे)

31 मार्च, 2002 के बाद भारत में ने मुद्रा – कोष से कोई ऋण नहीं लिया है। 23 अक्टुबर , 2010 जी–20 के वित मंत्री के बैठक में कई सहमती बनी, बैठक के बाद भारत के वित मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि आईएमएफ में भारत की रैंक तीन अंक ऊपर हो जाएगी, भारत आठवें स्थान पर आ जाएगा, मुखर्जी ने कहा,'हमने महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है, आईएमएफ में अब भारत का कोटा 2.75 फीसदी बढ़ गया है, इससे पहले भारतीय हिस्सेदारी 2.44 फीसदी थी।

आईएमएफ में एशिया प्रशांत विभाग के उप निर्देशक केनेथ कांग ने कहा कि एशिया का परिदृष्य अच्छा है और यह मुश्किल सुधारों के समिप भारत को आगे ले जाने का महत्वपूर्ण अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत के लिए त्रिवक्षीय ढांचागत सुधार दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया, 7–09 अक्टूबर , 2016 में हुए बैठक मे यह निष्कर्ष सामने आता है कि भारत की चरम गरीबी एवं भ्रष्टाचार को 2030 तक विश्व बैंक के मिशन तहत समाप्त करना है, युवाओं का उद्यमिता हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, आर्थिक असामनताओं को दूर करने हेतु अनेक सरकारी प्रयास किये जाने चाहिए, वैश्वीकरण एवं प्रौद्योगिकीकरण हेतु भारत में कार्य किये जाना आवश्यक हो गया है, तथा महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाओ को संचालित करते हुए अनेक योजनाओ को क्रियान्वित किया जाना चाहिए, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान अध्यक्ष जिम योंग कॉग का कहना है कि भारत में आर्थिक विकास एवं विनियोग के प्रत्याय दर तीव्र गति से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि यह एक बहुल संसाधन देश हैं , 27 जनवरी , 2016 के कोटा समीक्षा में भारत का कोटा बढ़कर 2.78 प्रतिशत हो गया है, तथा मताधिकार बढ़कर 2.66 प्रतिशत हो गई है, इस प्रकार यह संकेत प्राप्त हो रहा है कि, भारत चहुमुखी आर्थिक विकास कर रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ओझा शिवकुमार, भारतीय अर्थव्यवस्था बौद्धिक प्रकाशन , इलाहाबाद।
2. सिन्हा वी.सी., व्यावासायिक पर्यावरण, एस.बी.पी.डी.,पब्लिकेशन हाउस।
3. प्रतियोगिता दर्पण।

तालिका 1

वर्ष	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
कुल ऋण	2623	3451	4799	5040	4300	2374	1313	664	287	26

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) आर. आई. टी. महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रगति महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत